JPR5-487

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक/जडि/मुअ(वा)/सी-।/एफ(284)/पार्ट-III/प्रे.2002 दिनांक 06.08.08

-: आदेश :-

विषय :- कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियॉ उत्पन्न हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है।

कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक है तो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी तथा बढ़े हुए भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिया जाएगा । उपभोक्ता की बिलिंग बढ़े हुए भार के अनुसार तुरन्त चालू कर दी जायेगी।

"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के तहत् एक कुएं पर अतिरिक्त मोटर एवं उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में दूसरे कुँए पर अन्य मोटर लगाकर स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि करता है तो ऐसे उपभोक्ता को इस योजना से लाभावान्वित नही किया जाएगा।

यह योजना तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31.10.2008 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जावे।

आज्ञा से,
6/8/08
(एन.एम.सरीन)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)